

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- अलवर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का वरिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी, दलाल सहित 22 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 21 सितम्बर, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. जितेन्द्र शेखर वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेड़ा, जिला अलवर को उसके दलाल राहुल यादव (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 22 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट पक्ष में बनाने की एवज में डॉ. जितेन्द्र शेखर वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेड़ा, जिला अलवर द्वारा 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्र शेखर जाटव निवासी मालवीयनगर, अलवर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेड़ा, जिला अलवर को उसके क्लिनिक पर कार्यरत राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश यादव निवासी गांव मालीवास बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।